And, as I informed the hon Members earlier, the USA Federal Government itself has taken a stand that it completely disapproves of the kind of steps that some of the Governments in their States have been taking up We have also informed them that if they disapprove it, they have to go to full length in order to make sure, within their own federal structure, that these things do not happen because we have had issues, as an illustration I have also said, when India makes an International Commitments, it is the Governmment of India that makes But, every State Government, even if it is in disagreement with something that the Government of India has done, have to comply with it because it is a national commitment and that is what their regional Governments must also really consider

Pesticide contents in Food

*284 SHRI PREM CHAND GUPTA †

SHRI P PRABHAKAR REDDY

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state

(a) whether it is a fact that the danger of consuming pesticides and chemicals with food is high in the country, largely due to inept administrative control and lack of will of the authorities to implement the laws on food safety,

(b) whether the recent controversy of pesticide residues in soft drinks, insect infestations in chocolates are just some examples of the danger that exists, and

(c) if so, the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Prem Chand Gupta

Statement

The use of pesticides is regulated under the Insecticide Act, 1968, which is implemented by the Ministry of Agriculture Under the Insecticide Act, the Registration Committee (RC) registers pesticides for use upon specified food crops only after satisfying itself regarding their efficacy, residues and safety to human beings, animals and the matters connected therewith

If the approved/registered pesticides are used on food crops as per the recommended doses and as per direction given on the lable and leaflets, these are not likely to pose health hazards to human beings and animals

For safety to human health, maximum residue limits (MRLs) have been prescribed for different pesticides for various foods by the Ministry of Health under Rule 65 of the PFA Rules, 1955 Keeping in view in residues of pesticides in different components including food items, the Government of Indis ia advocating Integrated Pest Management (IPM) which *inter alia* includes the need based and judicious use of pesticides, use of bio-pesticides, banning/phasing out the most persistent organochlorine group of pesticides, educating farmers on judicious use of pesticides and observance of waiting penod and encouraging the organic farming

The standard for chocolate has been prescribed under PFA Rules Subsequent to recent media reports regarding insect infestation from Maharashtra, instructions have been issued to all regional officers for random inspection and sampling to prevent such occurrence A draft notification has been issued for prescribing maximum pesticide residues in soft drinks for which public comments have been invited Meanwhile, a Joint Parliamentary Committee (JPC) to look into the issues of pesticides in soft drinks etc has been constituted to suggest criteria for evolving suitable safety standard for soft drinks, fruit juice other beverages where what is the main constituent

SHRI PREM CHAND GUPTA Madam, there is a danger to the health of our citizens from pesticides and chemicals. Even after 55 years of our Independence, we have not been able to codify our own rules, regulations and laws regarding control of food and use of pesticides in food articles. The recent survey conducted by the All-India Co-ordinated Research Project on pesticide residues has found that 60 per cent of our food is contaminated This can create a serious genetic and bio-chemical disorder So, my supplementary to the hon Minister is, why has MRL has been fixed for 71 pesticides only out of 183 pesticides This ia part (a) of my supplementary

Part (b) is Since 1968, there has been no revision in the MRL content in the limit of any food products

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, जहां तक पेस्टिसाइड्स का सवाल है, एक इनसेक्टीसाइड एक्ट, 1968 है, जिसकी अभी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर है, उसके नीचे पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड होते हैं। एक रजिस्ट्रेशन कमेटी है, जो इनको रजिस्टर्ड करती है। सांसद महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा, 183 नहीं लेकिन 181 पेस्टिसाइड्स उनके नीचे रजिस्टर्ड हैं और अभी तक 71 के एम॰आर॰एल॰ उसमें ऐप्रूव हुए थे। मैं आपके माध्यम से उनको और सदन को बताना चाहती हूं कि इन 71 के बाद 50 और के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो गए थे, उनकी डेट खत्म हो गई, वे 50 ऐप्रूव हो करके अभी नोटिफाई हो जाएंगे। उनमें 27 ऐसे हैं जो रेडेंटिसाइड्स कहलाते हैं, जिनके लिए एम॰आर॰एल॰ की जरूरत नहीं है और बाकी जो 33 बचते हैं?, 181 में से, वे अंडर कंसिडरेशन हैं, उनके ऊपर अभी एम॰आर॰एल॰ किया जा रहा है। एक जो सबसे बड़ी कमी थी, जिसकी ओर इन्होंने इंगित किया, एम॰आर॰एल॰ के बिना ही पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हो जाता था। आगे यह भूल न हो इसलिए हमने यह तय कर दिया है, इन 181 का तो जैसे मैंने ब्रेक-अप बताया, हम कर ही रहे हैं, आगे के लिए हमने तय कर दिया है कि जब तक एम॰आर॰एल॰ ऐप्रूव न हो जाए तब तक नया पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड न किया जा सके।

जो आपने 1968 के बाद रिव्यू की बात की, तो ये जो 71 ऐप्रूव्ड थे, इनको भी कोडेक्स रूल्स के साथ हारमोनाइज करने के लिए हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं।

SHRI PREM CHAND GUPTA Madam, I just wanted to draw the attention of the hon Minister towards the fact that there are different regulatory authorities *viz*, the Prevention of Food Adulteration

Authority, the Food Produce Order, the Milk and Milk Produce Order, the Vegetable Oil Control Order, the BIS and the Directorate of Marketing Inspection, but there is no coordination among them Certain rules are governed by the Ministry of Agriculture, certain rules are governed by the Ministry of Chemicals, and certain rules are governed by the Ministry of Health There is no coordination among these authorities As a result, the guilty people go scot-free Would the hon Minister kindly tell as to how many persons, how many manufactures, how many organizations have been prosecuted after independence, or during the last five, ten years, for committing such violations Not even one! Not even one!

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, बहुत से आर्डर सांसद महोदय ने गिना दिए लेकिन मैं उनको बताना चाहूगी कि जहां तक फूड ऐडल्ट्रेशन का सवाल है, वह प्रिवेंशन आफ फूड ऐडल्ट्रेशन के नीचे ही आता है और उसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री आफ हेल्थ है। एक इंटिग्रेटिड फूड लॉ की भी बात आजकल चल रही है, लेकिन इंटिग्रेटिड फूड लॉ में भी यह सवाल है कि उसे फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री देखे या हेल्थ मिनिस्ट्री देखे। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री चूंकि फूड इडस्ट्री को प्रमोट करने वाली इडस्ट्री है, कभी भी प्रमोटिंग इडस्ट्री रेगुलेटिंग मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। रेगुलेट्री मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री है। तो ये जो आर्डर्स हैं, ये इनको अलग-अलग बताते हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री ही है।

जहां तक आपका यह सवाल है कि कितने लोग अभी तक प्रोसिक्यूट हुए हैं, यह बिल्कुल एक प्रश्न है। अगर सासद महोदय चाहते हैं तो मैं इसका अलग से डाटा उन तक भिजवा दूंगी या फिर वे चाहेंगे तो सदन में रख दूगी

उपसभापति: श्री पी॰ प्रभाकर रेड्डी, ऐबसैंट। श्री सुरेश पचौरी।

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति महोदया, मंत्री जी ने जैसा बताया है कि जो टॉलरेंस लैवल है पेस्टिसाइड्स का यानी मैक्सिमम् रेसिडयू लिमिट है, एम॰आर॰एल॰, यह डायरेक्टर जनरल आफ हेल्थ सर्विसेज के अतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ही इसको तय किया जाता है और पी॰एफ॰एल॰ लॉ के अतर्गत यह तय होता है। मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से अधिकांश लैबोरेट्रीज, जो इससे संबधित हैं, वे वैल इक्विप्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से यह हो रहा है कि जो एम॰आर॰एल॰ तय होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है, जबकि अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने कि स्टैंडर्ड प्रोसैस्ड फूड के लिए

तय किए हुए हैं। इससे एक विसंगति निर्मित हो रही है। महोदया, यूरोपियन कंट्रीज में इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो इंफेंट और चिल्ड्रन का फूड है, उसमें हम कैसे उनको हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। स्थिति यह हो रही है कि जो बेबी फूड है, उसमें भी जो रेमिडयू लैवल है, जितना कि निर्धारित किया गया है, जितनी अनुशंसा की गई है, उससे वह अधिक होता है और इसका कारण यह है कि हमारी लैबोरेट्रीज वैल इक्विप्ड नहीं हैं और वैल इक्विप्ड लैबोरेट्रीज नहीं होने से एक तो जो नियंत्रण होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है, दूसरे हेल्थ प्रभावित हो रही है और तीसरे जो पी०एफ०एन० लॉ है, जिसमें कि अब संशोधन करने की आवश्यकता हो गई है, क्या आप उसे संशोधित करने पर विचार कर रही हैं? और चौथा यह है कि एक भी व्यक्ति को अभी तक इसके अंतर्गत .(व्यवधान) ..

उपसभापति: आपने सबके सवाल पूछ लिए, वे लोग आपसे नाराज हो जाएंगे।

श्री सुरेश पचौरी: यह मेरे क्वेश्चन का 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' पार्ट है। मेरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यह है कि जो इस कानून का उल्लंघन करे, जो इस विसंगति के घेरे में आए, उसके लिए कडी से कडी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जैसे नकली दवाओं के संबंध में आपने साहसिक निर्णय लिया है, क्या इस केस में भी आप कोई ऐसा निर्णय लेने जा रही हैं, यह मैं आपके जरिए माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं भी आपके जरिए उनको बताना चाहती हू। उन्होंने कई सवाल पूछे हैं, मैं एक-एक करके उनके सवालों को लेती हू। पहली बात उन्होंने यह कही कि हमारे यहां लेबोरेट्रीज well equipped नहीं हैं। यह सच बात है कि हमारे यहा well equipped लेबोरेट्रीज का बहुत अच्छा नैटवर्क अभी नहीं है लेकिन मैं आपके जरिए सदन को यह भी बताना चाहती हू कि हमने एक capacity building project लिया है जिसमें हम स्टेट्स की फूड लेबोरेट्रीज को strengthen करने जा रहे हैं और जहां नयी लेबोरेट्रीज की जरूरत है, उनको भी खोलने जा रहे हैं। यह तो लेबोरेट्रीज के बारे में है। दूसरा आपने कहा कि लेबोरेट्रीज की वजह से MRL नियुक्त नहीं हो पा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं। MRL निर्धारित करने के लिए लेबोरेट्रीज की जरूरत नहीं है। MRL वाकई उस प्रोडक्ट में उससे ज्यादा है या नहीं, इसको देखने के लिए लेबोरेट्री की जरूरत है। तो जहां तक MRL निर्धारित करने का सवाल है MRL निर्धारित करने के लिए एक अलग तरीका है और उसमें हम लोग तीन चीजें मुख्य रूप से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि उस pesticide का approximate daily intake क्या है? फिर हम देखते हैं total food consumption उसके

बाद हम देखत हैं permissible limit of that pesticide इन तीनों चीजों को देखकर एक CCFS कमेटी बनी हुई है, जो MRL को निर्धारित करती है। तो MRL के निर्धारित करने का लेबोरेट्री से कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन वह MRL कहीं violate तो नहीं हो रहे हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन पूरा हो रहा है, इसको देखने के लिए लेबोरेट्रीज की नैटवर्किंग चाहिए जिसके लिए मैंने कहा कि एक बड़ा capacity building project हम लोगों ने लिया है जहां तक MRL के संशोधन का सवाल है, हम वह संशोधन करने जा रहे हैं और हमारे पास उसके बहुत से जो प्रावधान हैं उनमें संशोधनों का प्रारूप भी तैयार है। जहा तक सवाल है सख्त सजा का, धीरे-धीरे यह जो बड़ा साहसिक कदम हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में लिया है, उसके ऊपर संसद की किस तरह से सहमति हमको मिलती है, देश की किस तरह से सहमति हमको मिलती है, यह देखना है। मुझे लगता है कि कोई भी जो मिलावट वाली चीज है, जो स्वास्थ्य को खराब करती है, वह बंद होनी चाहिए। खास तौर पर हमने उसमें दवाइयों के सैंपलिंग में पहल की है, लेकिन फूड भी इससे कम महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अब देखते है कि दवाइयों के मामले में क्या अनुभव रहता है। अगर यह अनुभव ठीक रहा और आप सबकी सहमति मिली तो हम दूसरी तरफ भी जरूर आगे कदम बढ़ा सकते हैं।

उपसभापति: आप दोनों ने मेरे जरिए पूछा मगर मेरे यहां कोई residue नहीं रहा। conveninently transferred it and brought back the answer.

श्री सुरेश पचौरी: मैडम, आप भी साइंटिस्ट हैं, इसलिए यह विषय आपसे ज्यादा सम्बद्ध है।

THE DEPUTY CHAIRMAN Shri Dipankar Mukherjee. Now, is there any residue left in the question?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE Madam, I think, I will not come to the residue part There are laws for everything In spite of that, we know, implementation is a problem I think , stress should be laid on prevention rather than on cure Laws would always be there to prevent the overuse of pesticides That is not the point I would like to invite your attention to the first and second paragraphs We have seen from experience that at the grass root level, there had been and overuse of fertilizers and pesticides by farmers A lot of exercises have been done, especially, on the technical part of it, that is, on soil erosion caused due to overuse of fertilizers and pesticides' It has been said in the second paragraph, "If the registered pesticides are use on food crops as per the recommended doses and as per the direction " Now it is too much to expact from our

grass root farmers- who are using them - to use them as per those recommendations Actually, what is happening is that there is overuse of those pesticides There should be some NGOs to advise them. Earlier, certain Government agencies were there to advise them against overuse of fertilizers Our forefathers had thought about it. In 60's itself when Sindhri Fertilizer was opened another agency called the Fertilizer Promotion and Agriculture Research Division, specifically, meant for advising the farmers against overuse of fertilizers was set up I think, certain agency would be required to see that the grass root farmers know how to optimally utilize these pesticides With the multinationals coming into the picture, they are being prompted to use more fertilizers and pesticides so that there are more sales

THE DEPUTY CHAIRMAN Please conclude now.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE Madam, I would like to know whether the Government is thinking of setting up some agency to advise the farmers at the grass root level, so that overuse of pesticides as well as chemical fertilizers is stopped or prevented, right at the grass root level itself?

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, यह प्रश्न नहीं सुझाव है और इन्होंने जिस पैरा को पढ़कर बताया है उसमें देखा भी होगा कि यह कृषि मंत्रालय का काम है, क्योंकि वे सुझाव देते हैं। मैं अपने साथी कृषि मंत्री से जरूर कहूंगी कि वे इस सुझाव पर गौर करें।

SHRI B.P SINGHAL Madam, there are two aspects of it The important thing is to detect the MRL What are the agencies that detect it? Can't the QIC or the BIS - there is a network-- or any such other agency be deputed with fix quotas for detecting the MRL in various products? Unless detecting machinery is there, it will not be effective, you might set any MRL.

The next point is this. There are bio-pesticides The maximum poisoning is taking place because of malarial use of pesticides The bio-pesticides are not being promoted I do not see any reason as to why they are not being promoted. They are lesser in cost as compared to the alternatives' cost So, this is my first question

THE DEPUTY CHAIRMAN Mr Singhal, this question is related to the residue of what will happen after using the pesticides Your question

does not relate to her Ministry It would be a suggestion which she cannot implement (*Interruptions*)

SHRI B P SINGHAL Madam, that is related to the Ministry of Health If the Bio-pesticides are utilized, there is no question of leaving any residue

THE DEPUTY CHAIRMAN This is a suggestion

SHRI B P SINGHAL Why is it being held up? That is what I want to know

श्रीमती सुषमा स्वराज. उपसभापति महोदया, उनका जो पहला प्रश्न था वह यह था कि डिटेक्टिग एजेंसी कौन सी है। तो डिटेक्ट लेबोरेट्री के माध्यम से होता है और मिनिस्ट्री आफ हैल्थ करवाता है। मैंने सुरेश जी के प्रश्न के जवाब में यह बात बताई थी।

SHRI B P SINGHAL Who collects the samples?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मिनिस्ट्री आफ हैल्थ। मिनिस्ट्री आफ हैल्थ के अपने इंस्पेक्टर हैं, ड्रग इंस्पैक्टर हैं और फूड इस्पेक्टर हैं। वे लोग सैम्पिल्स कलेक्ट करते हैं, हम लोग बाजार से सैम्पिल्स कलेक्ट करते हैं और उनको डिफ्रेंट लेबोरेट्री में भेजते हैं। वे डिटेक्ट करते हैं।

SHRI LALIT SURI Madam, my question is this A JPC has been constituted to suggest criteria for evolving suitable standards for soft drinks Now, there are some particular soft drinks which are diet Madam, the chemicals used in these soft drinks are very harmful In Japan, they have asked to use a particular plant leaves which is known as Stevia which is grown in this country I would like to know whether we can change from the chemicals which are being used to Stevia in this country also as is being in Japan

श्री सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदय, जो बात उन्होंने कही है वह मुझ तक पहुंची है। स्टीविया एक प्लाट होता है। वह केमिकल के बजाए उतना ही मीठा देता है, जैसे बाकी जगह इक्वेली यूज करते हैं या शुगर फ्री यूज करते हैं। ये सब केमिकल्स से बनी हुई चीजें। जो स्टीविया है वह प्लाट से उतना ही मीठा देता है। यह बहुत बार चौज आई है यहां भी इस चीज के अभी शोध हो रहे हैं और जापान में जैसा कि यह कह रहे हैं वहा यूज भी हो रहा है। लेकिन जो जे०पी०सी० गठित हुई है, जे०पी०सी० तो हम लोगों को यह बताने के लिए गठित हुई है कि कितना-कितना पेस्टीसाइड्स रेजीडयू होना चाहिए यानी क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। वह स्टीविया के बारे में करने के लिए नहीं स्टीविया के बारे में आई०सी०एम०आर० को हमने स्टडी के लिए दिया है, बात यह लोग कह रहे

हैं कि स्टीविया का इस्तेमाल हो सकता है केमिकल की जगह। वहां आई॰सी॰एम॰आर॰ के शोध का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यह ठीक है जापान में वह चीज चल रही है लेकिन अपने देश में लाने के लिए हमें अपना शोध चाहिए होता है। आई॰सी॰एम॰आर॰ की स्टडी के बाद करेंगे। जेपीसी का इससे लेना-देना नहीं है, जेपीसी केवल स्टेंडर्ड तय कर रही है।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN Madam, the Minister has told us that under the Insecticides Act, which is under the Ministry of Agriculture, the pesticides are registered She has not told us about the Central Insecticides Board under which their Registration Committee works While there is a confusion as to who controls the insecticides as is in the case of who decides the MRL, my specific question to the Minister is this The Registration Committee is chaired by a very high official of the Health Ministry, and the powers under the Insecticides Act give him powers to decide MRL before insecticides are registered You have told us that out of 180 pesticides which are registered, only 70 have MRL But, in most advanced countries which use pesticides, no pesticide is registered unless MRL are fixed Now you have said that you will do it in future The Act was enacted in 1968 Is it not the failure of the Health Ministry which chairs the Registration Committee of Insecticides to allow insecticides being registered without MRL being fixed? As you know, the Insecticides Board has representatives of insecticides industry which would like the insecticides to be registered without MRL being fixed So, my question is, would you amend the Act so that it becomes mandatory that no insecticides can be registered without MRL being fixed?

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदय मैंने सासद महोदय की चिंता का समाधान अपने सबसे पहले सवाल के जवाब में कर दिया था। यह एक्ट 1968 से है मगर 1968 से हम यहां नहीं हैं, हम यहां 1998 में आये है। मैंने आपको कहा है कि जब हमको यह चीज पता चली कि एमआरएल एप्रूव होने के बिना पेस्टीसाइड रजिस्टर्ड हो जाता है। हर चीज को आदमी अनुभव से सीखता है और तब उसमें सुधार करता है जब हमें लगा कि यह गलत है यह घोड़े के आगे गाडी लगाने वाली बात है कि आप पेस्टीसाइड का एमआरएल तय नहीं करते हैं और पेस्टीसाइड को रजिस्टर्ड कर लेते हैं इसीलिए हमने तय किया कि कोई पेस्टीसाइड नया रजिस्टर्ड नहीं होगा जब तक कि उसका एमआरएल एप्रूव नहीं होता, जो एक कमी चली आ रही थी, जो एक भूल चली आ रही थी, उसका सुधार हमने किया।

जहां तक 181 का सवाल है उसमें से 71 के तो हैं लेकिन जैसा मैंने कहा है कि 50 और के भी कर दिये हैं तो ये 121 हो गये। मैंने 27 के बारे में कहा है कि वे रोडेंटीसाइड हैं उनकी जरूरत ही नहीं है जैसे चूहे मारने की दवा वगैरह होती है केवल 33 बचे हैं, उन 33 पर भी हम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ही 181 के एमआरएल इन पॉजीशन हो जायेंगे। आगे से एक भी एमआरएल रजिस्टर्ड ही नहीं होगा और इनसेक्टीसाइड एक्ट के नीचे आर सी जो है वह एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के नीचे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन का काम एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री करती हैं। इनसैक्टीसाइड एक्ट, 1968 में एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है और पीएफए की एडमिनिस्ट्रेटिव हैल्थ मिनिस्ट्री है। लेकिन जो कमी थी, जो भूल थी उसका सुधार कर लिया गया है। मुझे लगता है कि उसकी सराहना होनी चाहिए बजाय पीछे का हम गाना गायें। (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN Question No 285

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN But, Madam, the Registration Committee is chaired by a high official of the Health Ministry (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI Madam, I just want to put a very short question It has come out from the discussion that these laws and Acts, which are 30 to 50 years old, are creating more confusion rather than solving the problem Would the Minister kindly consider coming up with a comprehensive, new Act altogether? Are we following the world standards not only in terms of views, but also in terms of import and manufacture?

श्रीमती सुषमा स्वराज: *उपसभापति महोदया, मैंने आपसे कहा है कि आलरेडी यह बात चली* हुई है कि इंटेडिग्रेटिड फूड लॉ बनाये। लेकिन वह इंटेडिग्रेटिड फूड लॉ कितना कम्प्रेहैंसिव होगा इन सारी चीजों को रिपील करेगा या इनमें भी कुछ चीज रहेगी, यह मामला अभी अंडर कंसीडरेशन है। जब हम एक असल निर्णय पर पहुंच पायेंगे तब हम बता पायेंगे, लेकिन यह सोच चली है कि एक इंटेडिग्रेटिड फूड लॉ की जरूरत देश में है।

श्री दिनेश त्रिवेदी: इटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में .।

उपसभापति: उन्होंने अभी बता दिया है। एक-एक वर्ड का जवाब नहीं होता।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, इटरनेशनल स्टैंडर्ड भी अलग-अलग हैं। कोडेक्स के स्टैंडर्ड अलग हैं, डब्ल्युएचओ के स्टैंडर्ड अलग हैं, ई यू के स्टैंडर्ड अलग है। हम लोग कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे है? लेकिन कोडेक्स कम से कम हर देश को इस बात को

इजाजत और गुंजाइश देता है कि अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप उनको बना लें, कर लें। आप किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जस का तस नहीं अपना सकते क्योंकि वह परिप्रेक्ष्य देश में नहीं है। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड अपनाने हैं तो क्या उतना हाइजीन, क्या उतनी जानकारी, क्या उतनी अवेयरनेस देश में है? इसलिए जब हम इंटरनेशनल कहते हैं तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक अकेला नहीं है, ई॰यू॰ के स्टैंडर्ड अलग हैं, डब्ल्यु॰एच॰ओ॰ के स्टैंडर्ड अलग हैं, कोडेक्स के स्टैंडर्ड अलग हैं। अपने देश के परिप्रेक्ष्य में ही स्टैंडर्ड बनने चाहिए और अपने देश की जनता को सामने रखना है।

श्री राजीव शुक्ल: मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने ई॰यू॰ स्टैंडर्ड की बात की, क्या दोहरे मानदंड इसमें अपनाये जा रहे हैं? यह तर्क दिया जा रहा है कि पानी और शुगर के जरिए ज्यादातर पेस्टीसाइड कोल्ड ड्रिंक्स में आते हैं, यह तर्क कितना सही है? यदि सही है तो यूरो स्टैंडर्ड में जो बीट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती है उसमें 0 75 पेस्टीसाइड अलाउड है जबकि हमारे यहां वह केनशुगर पर 0.5 परसेंट पेस्टीसाइड को भी अलाउ करने को तैयार नहीं है, क्या इस तरह की बात सही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदया, जहां तक दोहरे मानदंड का सवाल है, दोहरे मानदंड नहीं हैं, जो पानी और शुगर की आप बात कर रहे हैं। देखिए – पानी अपने आप में ऐसा है जहां मिनिमम रेजीडयु लिमिट इवन आप ई॰यू॰ स्टैंडर्ड को भी ला सकते हैं। क्योंकि वहां पर रिवर्स ओसमॉसिस करके पानी बनाया जाता है। उसमें और कोई नहीं, नीचे से आपने ग्राउंड वाटर लिया, रिवर्स ओसमॉसिस करके आपने पूरे के पूरे पानी को शुद्ध किया। तो इवन ई॰यू॰ का एमआरएल आप ला सकते हैं जबकि शुगर में बीटरूट का शुगर बना हुआ और शुगरकेन का शुगर बना हुआ दोनों अलग-अलग हैं। हमारे यहां शुगरकेन में हमें यहां की चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे शुगरकेन के थ्रू कितना पेस्टीसाइड एमआरएल में आ सकता है। बाहर वाले हम पर यह लादें कि हम बीटरूट वाली शुगर लें और शुगरकेन वाली शुगर न लें तो फिर, दिनेश जी के बारे में जो मैंने बताया, हमारे देश का पूरा गन्ना उत्पादक खत्म हो जाएगा। इसलिए यह देखना पड़ेगा। पानी में वह चीज़ चल सकती है। पानी बिल्कुल अलग है। पानी अगर आप 12 रुपए की एक बोतल लेकर पीते हैं या 15 रुपए की एक बोतल लेकर पीते हैं तो आप यह ऐक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यानी ई॰यू॰ स्टैंडर्ड का पानी मिलना चाहिए क्योंकि आप उसको करने के लिए सक्षम हैं। अगर आपका प्लांट महंगा भी लगता है तो भी 15 रुपए में बोतल लेकर आप पी रहे हैं। लेकिन जहां तक फ्रूट बीवरेजिज का सवाल है, जहां तक चीनी का सवाल है, जैसा आपने भी कहा, बीटरूट वाला शुगर का स्टैंडर्ड शुगरकेन के स्टैंडर्ड में नहीं हो सकता। हम पर क्यों बीटरूट वाला मानदंड लादा जाए? पानी अलग है, बाकी सारी चीजें अलग हैं। इन दोनों चीजों को देखकर देश के परिप्रेक्ष्य में हमें स्टैंडर्ड्स तय करने चाहिए।